

डिक्री मुकदमात ईबादाई  
(ओ. नं. 6 व 7 जाप्ता दीवानी)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़  
(पीठासीन अधिकारी - श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं० 786/दावा/2017 (825/20)  
दायरा 27/07/2017



उनवान्

1. धनराज पुत्र सीताराम जाति धाकड निवासी चितावा तह० खानपुर
2. मन्नीबाई पुत्री सीताराम जाति धाकड निवासी चितावा तह० खानपुर
3. सुशीलाबाई पुत्री सीताराम जाति धाकड निवासी चितावा तह० खानपुर

— वादीगण

बनाम्


- 1 सीताराम पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड निवासी चितावा तहसील खानपुर
- 2 सत्यप्रकाश पुत्र सीताराम जाति धाकड निवासी चितावा तह० खानपुर
- 3 श्यामाबाई पुत्री सीताराम जाति धाकड निवासी चितावा तह० खानपुर
- 4 गोरीबाई पुत्री सीताराम जाति धाकड निवासी चितावा तह० खानपुर
- 5 नटीबाई पुत्री सीताराम जाति धाकड निवासी चितावा तह० खानपुर
- 6 शाखा प्रबंधक हाडोती सेन्ट्रल बैंक इण्डिया शाखा सारोलाकंला तहसील खानपुर
- 7 राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार साहब तहसील खानपुर जिला झालावाड़

— प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,188,53, 209 आर.टी.एक्ट 1955

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए. एस.) व हाजरी वादीगण मिन जानिब मुद्दई श्री अनिल मेहता एडवोकेट वादी रूबरू - प्रतिवादी जानिब मुद्दद्वालय पेशा होकर आदेश दिया जाता है कि :-

न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.08.2019 की अनुपालना में तहसीलदार खानपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम चितावा तहसील खानपुर की जमाबंदी संवत् 2073-76 की खतौनी सं० 228 की कुल 9 किता की 31.07 बीघा एवं मालनवासा की जमाबंदी सं. 2071-74 की खाता सं. 426 की 2 किता की 13.12 बीघा आराजी में से वादीगण के हिस्से का विभाजन निम्न प्रकार किया जाकर पृथक खाता कायम किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
खानपुर जिला झालावाड़  
(राजस्थान)


वादीगण- 1. धनराज पुत्र सीताराम 2. मन्नीबाई पुत्री सीताराम 3. सुशीलाबाई पुत्री सीताराम  
जाति धाकड निवासी चितावा तहसील खानपुर  
के पृथक खाते दर्ज होने वाली आराजी

क्र० सं०	नाम ग्राम	ख०नं०	रकबा है०	किस्म	लगान	दिशा
1	ग्राम चितावा खाता संख्या 232	121	0.0809 है०	बीड प्रथम	0.07	सम्पूर्ण
		888	0.8256 है०	माल दायम	1.57	सम्पूर्ण
		942	1.8211 है०	माल दाय	3.46	सम्पूर्ण
कुल योग		3 किता	2.7276 है०	-	5.10	-

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। पृथक लगान कायम किया जावे तथा पृथक खाते दर्ज होने वाली आराजी पर वादीगण को कब्जा भी दिया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। साथ ही जमाबंदी में शेष खातेदारान की पृविष्ठियां यथावत रहेगी।

यह डिकी आज दिनांक 26/02/2020 को हमारे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी की गई।



  
उपखण्ड अधिकारी  
खानपुर जिला इलाहाबाद  
(राजस्थान)

